संख्याः11/2021-597/58-2021-300/2016टीसी0

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊः दिनांकः 09 मार्च, 2021

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत एस0एल0एस0सी0 से अनुमोदित राजकीय पौधशालाओं/प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण परियोजनान्तर्गत राजकीय पौधशाला, सीहमई, कारीरात, अम्बेडकरनगर के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुमोदित धनराशि रू0-94.75 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप कुल धनराशि रू0-94.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में है।**

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-डी0एच0-639/आर0के0वी0वाई0/ रा0पौ0सीहमई, अम्बेडकरनगर/2020-21, दिनांक 24.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-253/12-3- 2021-100(37)/2017टी0सी0, दिनांक 23 फरवरी, 2021 द्वारा प्रदान की गयी वित्तीय स्वीकृति के अनुक्रम में प्रश्नगत कार्याेंं हेतु अनुदान सं0-11 में धनराशि रू0-60.00 लाख तथा अनुदान सं0-83 में रू0-34.75 लाख अर्थात कुल रू0-94.75 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1) कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-253/12-3-2021-100(37)/2017 टी0सी0, दिनांक 23 फरवरी, 2021 में दी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्ताव/आगणन लोक निर्माण विभाग के अद्यतन शिड्यूल्ड आफ रेट की दरों पर गठित किया गया है। आगणन में मिट्टी भराई के संबंध में आवश्यकता एवं औचित्य तथा दरों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(3) आगणन में जहां बाजार की दरें प्रस्तावित की गयी हैं, उनके संबंध में दरों के आधार एवं औचित्य का इस संबंध में दिये गये नियमों मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार परीक्षण किया जायेगा।

(4) आगणन में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जी0एस0टी0 की गणना सेंटेज चार्ज को हटाकर की जाय। उपरोक्त के साथ-साथ सी0वी0सी0 गाईड लाईन/जी0एफ0 रूल्स/थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन में दी गयी तत्संबंधी व्यवस्था तथा प्रक्रिया का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) योजनाओं/परियोजनाओं के व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं औचित्य का परीक्षण वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014- 10/77, दिनांक 26.8.2014 में दी गयी व्यवस्था/प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

भवदीय,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या-11/2021-597(1)/58-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कृषि निदेशक/नोडल अधिकारी, आर0के00वी0वाई, उ0प्र0, कृषि भवन, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- नोडल अधिकारी, आर0के0वी0वाई, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ।
6- संबंधित उप निदेशक, उद्यान-द्वारा-निदेशक।
7- संबंधित जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक-द्वारा-निदेशक।
8- कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in